



Neutral Citation No. - 2026:AHC:127989

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 19501 वर्ष 2026

धर्मेन्द्र कुमार उर्फ बौवा

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : देव प्रकाश शर्मा, प्रियंका देवी

प्रतिपक्षी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए., सत्य प्रकाश राठौर

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्रीमती प्रियंका देवी शर्मा, सूचनादाता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सत्य प्रकाश राठौर और उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान एजीए को सुना गया।
2. यह जमानत याचिका महोबा जिले के कोतवाली नगर (महोबा) थाना के मामले संख्या 154/2026, धारा 103(1) बीएनएस के तहत आवेदक की जमानत पर रिहाई की मांग करते हुए दायर की गई है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। आगे यह तर्क दिया गया है कि मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित है और परिस्थितियों की श्रृंखला पूरी नहीं है; सीसीटीवी फुटेज में मृतक को आवेदक के साथ अंतिम बार नहीं देखा गया था; आवेदक को जांच के दौरान संदेह के आधार पर इस मामले में आरोपी बनाया गया है। आगे यह तर्क दिया गया है कि आवेदक को 16.04.2026 को सह-आरोपी सुमित के साथ पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था; आवेदक के कब्जे से कथित तौर पर एक मोबाइल फोन और 315 बोर की एक देसी पिस्तौल बरामद की गई थी। मृतक के शरीर पर देसी पिस्तौल से कोई चोट नहीं है। इसलिए, देसी पिस्तौल की बरामदगी से अभियोजन पक्ष को आवेदक को

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कथित अपराध से जोड़ने में कोई मदद नहीं मिल सकती; आवेदक के कब्जे से कथित रूप से बरामद मोबाइल फोन मृतक का नहीं है। अभियोजन पक्ष का कहना है कि मृतक का मोबाइल फोन सह-आरोपी सुमित कुमार के कब्जे से बरामद किया गया था। आगे यह तर्क दिया गया है कि कथित घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी बयान नहीं है और मृतक के शरीर पर खरोंच और चोट के निशान थे; मृतक के शरीर पर गोली लगने का कोई निशान नहीं मिला। आवेदक के पास मृतक की हत्या करने का कोई मकसद नहीं है; आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक के अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि आवेदक 16.04.2026 से जेल में बंद है और यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे में सहयोग करेगा।

4. इसके विपरीत, विद्वान एजीए ने आवेदक को जमानत देने की प्रार्थना का विरोध किया है और प्रस्तुत किया है कि आवेदक के खिलाफ अपराध में उसकी संलिप्तता के संबंध में पर्याप्त सबूत हैं, इसलिए वह जमानत पर रिहा होने का हकदार नहीं है।

5. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत विरोधी दलीलों, आरोपों की प्रकृति, रिकॉर्ड पर लाए गए साक्ष्यों, आवेदक द्वारा भुगती गई कारावास की अवधि, किसी भी आपराधिक पृष्ठभूमि के अभाव और मामले की गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, इस न्यायालय ने पाया है कि आवेदक ने जमानत दिए जाने का मामला सिद्ध कर दिया है।

6. तदनुसार, जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

7. आवेदक धर्मेन्द्र कुमार उर्फ बौवा, जो उपरोक्त मामले में अपराध में संलिप्त है, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि के व्यक्तिगत बांड और दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अलावा, रिहाई आदेश जारी करने से पहले, जमानतियों का सत्यापन किया जाए।

(i) आवेदक इस आशय का वचन पत्र दाखिल करेगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों तो वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथि पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा। इस शर्त का उल्लंघन करने की स्थिति में, निचली अदालत इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर कानून के अनुसार आदेश पारित कर सकती है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(ii) आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।

(iii) यदि आवेदक बिना पर्याप्त कारण के अनुपस्थित रहता है, तो निचली अदालत उसके विरुद्ध धारा 229-ए आईपीसी/ 269 बीएनएस के तहत कार्यवाही कर सकती है।

(iii) यदि आवेदक मुकदमे के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 82 द.प्र.सं./ 84 बीएनएसएस के तहत उद्घोषणा जारी की जा सकती है, और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो निचली अदालत उसके विरुद्ध कानून के अनुसार धारा 174-ए आईपीसी/ 209 बीएनएस के तहत कार्यवाही शुरू करेगी।

(iv) आवेदक को निचली अदालत के समक्ष (1) मामले की शुरुआत, (2) आरोप तय करने और (3) धारा 313 द.प्र.सं./ 351 बीएनएसएस के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर स्वयं उपस्थित रहना होगा। यदि निचली अदालत की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या बिना पर्याप्त कारण के है, तो निचली अदालत ऐसी चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर उसके विरुद्ध कानून के अनुसार कार्यवाही कर सकती है।

8. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर जमानत रद्द की जा सकती है।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देते समय की गई टिप्पणियां किसी भी तरह से माननीय विचारण न्यायाधीश को गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने से प्रभावित नहीं करेंगी।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

18 जून, 2026

नितेंद्र

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।